निर्णय ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. अपीलीय अधिकारी (कलक्टर), जयपुर

प्रकरण संख्या **54/2025** (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

नन्दराज स्वामी पुत्र स्व. श्री कल्याण दास, ग्राम शंकरपुरा, पोस्ट काशीपुरा, तहसील तूंगा, वाया कोटखावदा, जयपुर।

अपीलार्थी

बनाम

1. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग, अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम कलक्ट्रेट, जयपुर।
2. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार तूंगा, जयपुर।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005.

निर्णय **दिनांक 18.08.2025**

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत दिनांक 28.03.2025 को लोक सूचना अधिकारी कार्यालय जिला कलक्टर जयपुर के नाम आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 18.2.2025 एवं दिनांक 25.2.2025 को प्रस्तुत शिकायत के संबंध में बिन्दुवार सूचनाएं चाही गई है। नियत समयावधि में चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील पेश कर वांछित सूचना दिलाने का अनुरोध किया है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। संबंधित राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग, अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम कलक्ट्रेट, जयपुर को अपील मीमों की फोटो प्रति प्रेषित की जाकर बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई। टिप्पणी प्राप्त है। अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया। अपीलार्थी ने उपस्थित होकर लिखित बहस प्रस्तुत की है।
3. लिखित बहस एवं राज्य लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त टिप्पणी एवं पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. राज्य लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त टिप्पणी क्रमांक 4927 दिनांक 23.07.2025, जिसकी प्रति अपीलार्थी को भ प्रेषित की गई है, के अनुसार अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना का संबंध तहसीलदार तूंगा से होने से पत्रांक 2639 दिनांक 02.05.2025 को अंतरित कर दिया गया था। तहसीलदार तूंगा से अपीलोत्तर प्राप्त नहीं है। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के धारा 6(1) के प्रार्थना पत्र के क्रम में विनिश्चय पारित कर सूचित किया जाना चाहिए था। कार्यालयी अभिलेखों पर उपलब्ध सूचना अपीलार्थी को दी जा सकती है, अतः प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है।
5. प्रत्यर्थी संख्या 2 को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना अविलम्ब निःशुल्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
6. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उभय पक्ष को जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।
7. निर्णय आज दिनांक **18.08.2025** को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner